

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(3)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 30-8-2019

:: आदेश ::

श्री विनोद कुमार शर्मा, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, अलवर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्री रुद्र किशोर सैनी, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01, अलवर को अपने संबंधित न्यायालय में पैरवी के साथ-साथ जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर में लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, अलवर के पद पर नियुक्ति होने या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से


हूँ

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विधि अधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर।
9. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं0 1, अलवर।
10. जिला कलक्टर, अलवर।
11. कोषाधिकारी, अलवर।
12. श्री विनोद कुमार शर्मा, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, अलवर को निर्देशित किया जाता है कि अपने पद का कार्यभार श्री रुद्र किशोर सैनी, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01, अलवर को सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब इस विभाग को प्रेषित करें।
13. श्री रुद्र किशोर सैनी, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01, अलवर को पालनार्थ।
14. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
15. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
16. सहायक लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
17. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।


30/8/2019
(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण